an>

Title: Discussion on the motion for consideration of Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the next Item in the Agenda for discussion. Before I call Dr. Ramesh Pokhriyal to move the Motion for consideration of his Bill, namely the Central Himalayan States Development Council Bill, 2014, the time for discussion of this Bill has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: So, two hours are allotted for discussion of this Bill.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

> "कि केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

आदरणीय सभापति जी, वैसे तो हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाये जाने की एक लंबी चर्चा इस सदन में हुई है। इस पर 15 राज्यों के 17-18 माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो हिमालयी विकास परिषद राज्य का है, जब तक सरकार इसे तय करती है कि वह अलग मंत्रालय का गठन करे तब तक कम से कम एक ऐसी परिषद होनी चाहिए, जो हिमालयी राज्यों की नीति का निर्धारण करे, जो केन्द्र और राज्यों के बीच अन्यंत समन्वय का कार्य करे। क्योंकि वहां की जो नीति हैं, वे बिल्कुल भिन्न नीति होंगी, चाहे वह वन नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह खनन की नीति हो, चाहे खनिज की नीति हो, चाहे वह शिक्षा की नीति हो, चाहे वह पयर्टन की नीति हो।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह पूरी हिमालयी बेल्ट जो 2,500 किलोमीटर परिक्षेत्र सीमा पर लगी है, इसकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सब प्रकार की अभिन्न स्थितियां हैं। यह देश की सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावर्णिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जिस छोर तक भी विचार किया जाये, उस छोर तक यह क्षेत्र इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है, जो जीवन देता है। यह जीवन देने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कहते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया को इस धरती के स्वर्ग में आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में सैंकड़ों स्विट्जरलैंड बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों में समाये हुए हैं। चाहे पर्यटन की नीति का विषय हो, चाहे वन नीति का विषय हो, क्योंकि वन प्राण हैं और मैं समझता हूं कि यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से पूरी दुनिया की पाठशाला है। साठ प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र इस हिमालय की बेल्ट में हैं। वे जहां ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, वहां हिमालय से निकलने वाली ये जल धारायें पूरे एशिया को पानी देती हैं, जीवन देती हैं, तो क्या वहां की जल नीति अलग नहीं होनी चाहिए? वहां की जल नीति अलग होनी चाहिए, वहां की वन नीति अलग होनी चाहिए। वर्तमान में यह क्या हो रहा है? जो वन नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है, जो जल नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है।

हमें मालूम है कि वह बिल्कुल अलग क्षेत्र है। उसकी भौगोलिक और सामरिक चुनौतियां पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हजारों मेगावॉट बिजली को पैदा करने वाला क्षेत्र आज भी अंधेरे की गुमनामी में खोया हुआ है। हजारों मेगावॉट की क्षमता है, मैं सोचता हूं कि असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर को देखा जाए तो ये हजारों मेगावॉट बिजली पैदा करते हैं और हजारों जल विद्युत परियाजनायें अभी भविष्य की कोख में हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए अलग से एक ऊर्जा की नीति होनी चाहिए। कम से कम जो ऊर्जा देता है, वह अंधेरे में तो न भटके। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां के गांव अंधेरे में हैं।

जल के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो एशिया को पानी देता है, उसके गांव आज भी प्यासे हैं। तीन-चार-पांच किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए वे विवश होते हैं। महिलाओं का आधा समय लकड़ी और पानी लाने मे चला जाता है। वन अधिनियम, 1980 और वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, दोनों अधिनियमों के कारण अगर देखा जाए तो जो वहां परिस्थितियां हैं, चाहे वह जड़ी-बूटी का व्यवसाय करने वाले लोग थे, चाहे वह लकड़ी पर आधारित काम करने के व्यवसाय में थे, आज उनके गांव उजड़ रहे हैं।

18.00 hrs

जड़ी-बूटी तस्करी हो कर चीन में जा रहा है। तस्कर आज भी सक्रिय हैं। लेकिन मेरी कीड़ा-जड़ी और संजीवनी बूटियां जो आसाध्य रोगों को भी साधने की हिम्मत रखते हैं।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, you can continue your speech next time.

Hon. Members, it is now 6 o'clock and to take up 'Zero Hour', we may extend the time of the House by half an hour.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up `Zero Hour'.